"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मई 2013—ज्येष्ठ 8, शक 1935

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2013/वाक/पांच (37).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट व्यवसायियों के वर्ग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष की अवधि के लिये अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट निर्बधनों तथा शर्तो एवं उपाबंध में दी गयी प्रक्रिया अनुसार एवं उपाबंध तीन की सामान्य शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है.

अनुसूची

क्र. (1)	व्यवसायी का वर्ग (2)	निर्बंधन तथा शर्तों जिनके अध्यधीन रहते हुये छूट दी गई है (3)
1.	1- ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने नवीन लघु उद्योग/मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट अथवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योग की स्थापना ऑटोमोटिव उद्योगों (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यवसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स उद्योग) की श्रेणी में की हो अथवा राज्य में स्थित	1- जब प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो व तीन में विनिर्दिष्ट माल (डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) का विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाये. 2- स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया माल उसके मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज होना चाहिये.

(1)	(2)	(3)
	विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया हो या विद्यमान उद्योग में शवलीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन किया हो.	3- व्यवसायी सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र का धारक हो. 4- नवीन औद्योगिक इकाईयों को मूल उत्पादन क्षमता तक एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयों को विस्तार के पूर्व स्थापित क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक किये गये अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में ही छूट प्राप्त होगी. 5- शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन के प्रकरणों में प्रवेश कर छूट नवीन उत्पादों पर प्राप्त होगी. 6- पंजीकृत व्यवसायी ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छूट के पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया हो. 7- रुपये 100 करोड़ से अधिक निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो. 8- औद्योगिक इकाई को ऑटोमोबाईल (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन) उद्योग की स्थापना हेतु स्वयं या संयुक्त उपक्रम के साथ कम से कम 1000 करोड़ रु. का स्थायी पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित होने की तिथि से 7 वर्षों के भीतर किया हो. 9- आटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योगों/ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों के लिये स्थायी पूंजी निवेश की कोई सीमा नहीं होगी. 10- परियोजना की स्थापना हेतु छ. ग. राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय-समय पर हुये संशोधनों का पालन किया हो.

2- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु परिभाषाएं उपाबंध-एक अनुसार होगी.

उपाबंध-एक

परिभाषाएं

(एक) "नवीन औद्योगिक इकाई" अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें ऑटो मोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स उद्योगों की श्रेणी दिनांक 01-11-2012 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति ई.एम. पार्ट-2 या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो व ऑटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योगों/ऑटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों को छोड़कर रु. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया गया हो तथा आटोमोटिव उद्योगों में एम.ओ.यू. निष्पादन के दिनांक से 7 वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 करोड़ रु. स्थायी पूंजी निवेश किया हो.

(दो) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसमें "ऑटोमोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स नीति 2012" के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो व इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो व ऑटोमोटिव उद्योग के अनुषंगिक

उद्योगों/आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों को छोड़कर रु. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश उद्योग के विस्तार पर करने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो तथा विस्तार के तहत आटोमोटिव उद्योगों में एम.ओ.यू. निष्पादन के दिनांक से 7 वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 करोड़ रु. स्थायी पूंजी निवेश किया हो.

(तीन) "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद उद्योगों/अल्ट्रा उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद उद्योगों/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में "ऑटो मोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग नीति 2012" के नियत दिनांक के पश्चात् उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश करते हुये उद्योग विभाग से पंजीकृत मूल क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है.

(चार) "लघु उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जो भारत सरकार के "सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई सूक्ष्म लघु उद्यम की परिभाषा के अंतर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1 एवं प्रमाण-पत्र धारित करती हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई. एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन.

(पांच) "मध्यम उद्योग" से अभिप्रेत ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है, जो भारत के "सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006" के अंतर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म-लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक किंतु रु. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक उपक्रम के पास सक्षम अधिकारी से यथास्थिति ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम. प्राप्त किया हो तथा उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई. एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र धारित करती है.

(छः) "वृहद उद्योग" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक किंतु रु. 100 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेशित हो एवं इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक उपक्रम सक्षम अधिकारी से यथास्थिति आई.ई.एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लाईसेंस धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करती हो.

(सात) "मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसने रु. 100 करोड़ से अधिक किन्तु 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करती हो.

(आठ) "अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसने रुपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुये वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित न हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन भी धारित करती हो.

(नौ) नियत दिनांक से अभिप्रेत है, दिनांक 01 नवंबर 2012

(दस) "शवलीकरण" आशय ऐसे उत्पादनरत् विद्यमान औद्योगिक इकाई/उद्योग से है जिसने आटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हुये उद्योग स्थापित किया हो तथा सक्षम प्राधिकारी से ई.एम.पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो, यदि आटोमोटिव उद्योग नीति 01 नवंबर 2012 के नियत दिनांक के पश्चात् अपने वर्तमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है तो नवीन उत्पाद शवलीकृत श्रेणी में आयेगा बशर्ते कि औद्योगिक इकाई/उद्योग ने नियत दिनांक 01 नवंबर 2012 के पश्चात् विद्यमान उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी निवेश किया हो. इसके लिये 31 अक्टूबर 2017 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना हो.

(ग्यारह) "बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन" बेकवर्ड इंटीग्रेशन से आशय है यदि उत्पादनरत् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद के लिये प्रयुक्त होने वाले कच्चामाल-मध्यवर्ती उत्पादन का भी उत्पादन अपने विद्यमान उद्योग में दिनांक 01 नवंबर 2012 में

पश्चात् प्रारंभ करें एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन से आशय है उत्पादनरत् विद्यमान औद्योगिक इकाई पूर्व से निर्मित उत्पाद के अतिरिक्त अन्य मूल्य संवर्धित उत्पाद का भी उत्पादन अपने विद्यमान उद्योग 01 नवंबर 2012 के पश्चात् प्रारंभ करें, तथा उनके विद्यमान उद्योग में "फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन" से संबंधित उत्पादन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित मान्य पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01 नवंबर 2012 में पश्चात् करें. ऐसी छूट केवल "फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन" से संबंधित उत्पाद पर ही दी जायेगी, व इसके लिये 31 अक्टूबर 2017 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना भी होगा.

(बारह) **"स्थायी पूंजी निवेश"**

(1) स्थायी पूंजी निवेश से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या उद्योग के विस्तार हेतु भूमि, भवन, फैक्ट्री-सेड, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति पर निवेश.

(2) आटोमोबाईल उद्योग हेतु आटोमोटिव उद्योगों में न्यूनतम रु. 1000 करोड़ की राशि में, स्थायी पूंजी निवेश एवं Intengible Assets जो कुल निवेश का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. Intengible Assets Investment के अंतर्गत परियोजना शुरू करने के पूर्व के कार्य तकनीकी Knoe-how का मूल्य-डिजाईन-प्रोटोटाइम इत्यादि-जो कि कंपनी के Books of Accounts में वर्णित है, स्थायी संपत्ति निवेश में माने जाये, सम्मिलित होंगे.

(3) रु. 1000 करोड़ का न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश औद्योगिक इकाई को स्वयं या संयुक्त उपक्रम के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन होने की तिथि से 7 वर्ष के भीतर करना होगा.

(तेरह) "भूमि मूल्य" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के मूल्य से है तथा "भूमि मूल्य" में सम्मिलित है-भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/सक्षम अधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भू-आवंटन किये जाने पर निर्धारित भू-प्रब्याजि (यथास्थिति जो लागू हो) तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि.

(चौदह) "शेड-भवन" से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्यूरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम.

(पन्द्रह) "विद्युत आपूर्ति निवेश" आशय नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण, शवलीकरण, फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन हेतु फैक्ट्री परिसर में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित एवं/या निजी कंपनियों को भुगतान की राशि

टीप :—

(1) भुगतान की गई राशि में सिक्युरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(2) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा.

(सोलह) "जल आपूर्ति निवेश" से आशय है, नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण, शवलीकरण, फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन हेतु औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो. इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(सत्रह) "प्लांट एवं मशीनरी" से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश से है.

टीप :— न्यूनतम 10 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये प्राप्त किये गये ऐसे लीज-होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया" द्वारा जारी "एकाउंटिंग स्टेंडर्ड" (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा, किन्तु उसका लीज मूल्य किसी भी दशा में उस प्लांट/मशीनरी के मूल्य से अधिक नहीं लिया जायेगा.

(अट्ठारह) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से आशय है :—

(क) लघु उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारंभ किये गये संसूचित परीक्षण-उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद का अगला दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पहले हो.

(ख) मध्यम उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद का अगला दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक जो पहले का हो.

(ग) वृहद उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 150 दिन बाद का अगला दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले का हो.

(घ) मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में रुपये 100 करोड़ से अधिक किंतु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 180 दिन बाद तक का अगला दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो.

(ङ) रुपये 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 270 दिन बाद का अगला दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो.

(उन्नीस) "आटोमोटिव उद्योग" से आशय है व उसमें सम्मिलित है नई इकाई/विस्तार जिसमें कि इंजिन प्लांट, प्रेस शॉप, बॉडी शॉप, ट्रांसमिशन लाईन, असेम्बली लाईन, पेंट शॉप इत्यादि एक ही स्थान पर हो.

इस अधिसूचना में की गई कोई अभिव्यक्ति एवं शब्द यदि है तो भारत सरकार द्वारा ऑटोमोटिव उद्योगों के संबंध में मान्य परिभाषाएं यथावत् लागू होंगी.

उपाबंध-दो

1- (एक) ऐसा कोई व्यापारी, जिसने आटोमोटिव उद्योगों (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यवसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स उद्योग) की श्रेणी में कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार किया है अथवा विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन किया हो और इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से भुगतान में छूट प्राप्त करना चाहता है, संलग्न प्रारूप (क) में, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, आवेदन सामान्यत: वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 150 दिन के भीतर करेगा.

(दो) जहां ऐसा आवेदन निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने के संबंध में निश्चित करने के लिये सक्षम समिति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका था तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विलंब को माफ कर सकेगी और आवेदन के गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकेगी तथा उसका निपटारा कर सकेगी.

2- उक्त आवेदन की एक प्रति उस वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है.

3- आवेदन प्राप्त करने वाले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आवेदन के प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान की जावेगी.

4- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात् लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों में अपनी रिपोर्ट क्रमश: मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं उपायुक्त/सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर को तथा मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रो मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे.

5- इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से छूट पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिये ऐसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के लिये दो समितियां होगी—

अ— जिला स्तरीय समिति

1-कलेक्टर	अध्यक्ष
2-उप संचालक, उद्योग संचालनालय	सदस्य
3-लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
4-वाणिज्यिक कर अधिकारी	सदस्य
5-मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

ब— राज्य स्तरीय समिति

1-आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2-प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पो. लि.	सदस्य
3-उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग	सदस्य सचिव

6- जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 2 से होगी व गणपूर्ति जिला स्तरीय समिति के अनुक्रमांक 4 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जावेगी.

7- जिला स्तरीय समिति लघु औद्योगिक इकाई की पात्रता तथा राज्य स्तरीय समिति मध्यम-वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रो मेगा प्रोजेक्ट को पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी.

8- आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति या राज्य स्तरीय समिति को एक रिपोर्ट आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा.

9- पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिये लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामलों में उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जावेगा. मध्यम-वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रो मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में किये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जावेगा और ऐसे मामलों में उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया जावेगा.

10. पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व पंजीकृत व्यापारियों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ करना होगा.

11. (एक) समिति सामान्यत: अपनी बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किंतु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार-बार बुलाई जा सकेगी. समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत करने या उसके लिए किया गया आवेदन खारिज करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चिय कर सकेगी.

(दो) जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 150 दिन के भीतर आवेदन का निराकरण किया जावेगा.

12. राज्य स्तरीय समिति के अधिकार—

12.1 राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चिय में परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त होगी.

12.2 राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर जिला स्तर पर के विनिश्चय का पुनरावलोकन करने की शक्तियां एवं जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होगी.

12.3 राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश जिला स्तरीय समिति के लिये बाध्यकारी होंगे.

12.4 राज्य स्तरीय समिति को आवेदन देने में हुए विलंब को गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए शिथिल करने के अधिकार होंगे.

12.5 राज्य स्तरीय समिति निर्णय लेने के पूर्व औद्योगिक इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी.

13. राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनिप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून, 2006 के अनुसार की जावेगी.

14. स्थायी पूंजी निवेश करने की निर्धारित समयावधि अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से गणित की जावेगी.

15. अपील/वाद—

15.1 लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रु. 1000/- एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरण में रु. 2000/- का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा. द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

15.2 अपील आदेश प्राप्ति के 45 दिवसों के भीतर की जा सकेगी.

15.3 इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

16. इस अधिसूचना के अधीन किसी व्यापारी द्वारा कर के भुगतान से छूट की सुविधा या पात्रता या उससे संबंधित किसी विषय में राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चिय से उद्भूत किसी विषय में कोई विवाद होने की दशा में, आवेदक औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य अपीलीय फोरम को निर्दिष्ट किया जावेगा. आवेदक द्वारा यह आवेदन राज्य स्तरीय समिति के आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 120 दिन के भीतर किया जा सकेगा.

1. राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1-	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—	अध्यक्ष
2-	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग—	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग—	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग—	सदस्य
5-	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग—	सदस्य सचिव

2. राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति तीन से होगी व गणपूर्ति राज्य अपीलीय फोरम के अनुक्रमांक 2 या 3 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जावेगी.

3. अपीलीय फोरम, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर विचार के पश्चात्, इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधिसूचना के उपबंधों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसा आदेश 180 दिनों के पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे. अपीलीय फोरम को अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए विलंब को शिथिल करने के अधिकार होंगे.

4. राज्य अपीलीय फोरम द्वारा पारित आदेश समस्त पक्षों हेतु अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

उपाबंध-तीन

इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते उपलब्ध होगी :—

(एक) (क) व्यापारी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से उपाबंध-दो में विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा प्रक्रिया से ऐसा स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जावेगा, जिसके संबंध में छूट स्वीकृत है और अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा.

(ख) ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व्यापारी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जावेगी.

(दो) यदि व्यापारी को पात्रता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के अधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण पत्र उस तारीख से निरस्त कर दिया जावेगा, जिस तारीख को वह जारी किया गया था और तदुपरांत इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापिस ली जावेगी और वह सम्पूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण की तारीख तक ले लिया गया है, व्यापारी से एक मुश्त वसूली योग्य होगी.

(तीन) यदि व्यापारी इस अधिसूचना के अधीन नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है अथवा विद्यमान इकाई का विस्तार करता है अथवा विद्यमान उद्योग में शंवलीकरण बेकवर्ड इंटिग्रेशन फारवर्ड इंटिग्रेशन करता है किंतु बाद में उसे बंद कर देता है या उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर विद्यमान किसी अन्य औद्योगिक इकाई में उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है, वह उत्पादन औसत उत्पादन से 50 प्रतिशत कम हो जाता है, तो पात्रता प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा तथा ऐसा निरस्तीकरण उस तारीख से प्रभावशील होगा, जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है.

(पांच) (क) व्यापारी छूट की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट की कालावधि के समाप्त होने की तारीख के पश्चात् भी 5 वर्ष की कालावधि के लिए उसे चालू रखेगा.

(ख) उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यापारी—

(एक) सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, या

(दो) उसमें कोई सारभूत कमी नहीं करेगा, या

(तीन) औद्योगिक इकाई में कुल स्थायी पूंजी निवेश के किसी भाग में सारभूत कमी नहीं करेगा

(ग) यदि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, तो इस अधिसूचना के अधीन व्यापारी को दिये समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को अंतरित हो जावेंगे.

(छ:) व्यापारी छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के अंतर्गत संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक करार निष्पादित करेगा, जिसका पंजीयन स्वयं के व्यय पर करेगा.

(सात) व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन अपेक्षित विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा.

(आठ) व्यापारी क्रय किये गये माल तथा विक्रय किये गये उत्पादों के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुए एक खाता रखेगा.

(नौ) तालिका-एक में प्रवर्ग का व्यवसायी इस अधिसूचना के अधीन कर के भुगतान से छूट के लिए पात्रता की कालावधि के दौरान प्रत्येक वार्षिकी के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उत्पादन तथा विक्रय से संबंधित एक विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिन के भीतर देगा.

(दस) (ख) यदि छूट की पात्रता अवधि में राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिक तथा कुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय वर्ग में उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रतिशत रोजगार में कमी लाता है तो भी छूट प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

(ग्यारह) (क) इस अधिसूचना की कंडिका 1 से 10 में के उपबंधों तथा उसके अधीन शर्तों में से किसी का अथवा अधिसूचना में अंकित शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर इस अधिसूचना के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति देने वाली समिति द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र रद्द किया जा सकेगा.

(ख) यदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो ऐसे निरस्तीकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा.

यह अधिसूचना दिनांक 01 नवंबर 2012 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

"प्रपत्र–क"

(प्रवेश कर छूट हेतु आवेदन)

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यवसायी का नाम) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक .... का धारक हो ने (स्थान) :.............................. (इकाई का नाम) नाम से छत्तीसगढ़ के जिले में ग्राम/शहर .... तहसील .... जिला .... में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट्स उद्योगों की श्रेणी में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/शवलीकरण/बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जिसके संबंध में प्रविष्टियां नीचे अनुसार है :—

1 (अ) औद्योगिक इकाई का नाम व पता ....

(ब) फैक्ट्री स्थल — ग्राम .... विकासखण्ड .... जिला ....

2 उद्योग विभाग के साथ पंजीयन—

(अ) ई. एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आषय पत्र/औद्योगिक लायसेंस ....

(ब) ई. एम. पार्ट–2 ....

(स) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र ....

3– (क) नवीन औद्योगिक इकाई —

उत्पाद .... वार्षिक उत्पादन क्षमता ....

(ख) विद्यमान उद्योग में विस्तार—

1. उत्पाद ....
2. विस्तार के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता ....
3. विस्तार के पश्चात् वार्षिक उत्पादन क्षमता ....
4. विस्तारित उत्पादन क्षमता ....

(ग) शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेषन—

1. उत्पाद ....
2. वार्षिक उत्पादन क्षमता ....

4– नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन में स्थायी पूंजी निवेश ....

क्र. (1)		राशि (2)
(1)	**भूमि- (भूमि का रकबा ....)**	
	अ– वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/	
	ब– मुद्रांक शुल्क	
	स– पंजीयन शुल्क	
	योग—	
(2)	**शेड-भवन—**	
	1 फैक्ट्री भवन	
	2 शेड	
	3 प्रयोगशाला भवन	
	4 अनुसंधान भवन	

(1)		(2)
	5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम **योग—**	
(3)	**प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित)—** 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण 4 परीक्षण उपकरण 5 स्थापना संबंधी व्यय **योग—**	
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश—** अ- छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कंपनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब- केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश **योग—**	
(5)	**जल आपूर्ति निवेश—** औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) **योग**	
	महायोग—	

5- **नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेषन/फारवर्ड इंटीग्रेषन क्षमता में विनिर्मित उत्पादों की प्रविष्टियां** ....

6- **विनिर्माण में उपभोग अथवा उपयोग के लिये माल की प्रविष्टियां—**

क्र.	माल का विवरण	मात्रा
1.		
2.		
3.		

7- **नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेषन/फारवर्ड इंटीग्रेषन क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक** ....

8- कुल रोजगार—

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स				

9 प्रवेश कर से छूट हेतु का दिनांक ....
(वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक)

आवेदक निवेदन करता है कि उक्त अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाए.

स्थान ....
दिनांक ....

....
हस्ताक्षर/पदमुद्रा सहित

शपथ पत्र

मैं .... स्वामी/साझेदार/संचालक/प्राधिकृत अधिकारी, औद्योगिक इकाई .... की ओर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसूची एवं उपाबंध 3 में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों एवं अनुसूची के कालम 5 में अंकित शर्तों का पालन किया जायेगा. मेरे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा छूट पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है तो संपूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण के दिनांक तक ले लिया गया है, उसका एकमुश्त भुगतान मय ब्याज के किया जायेगा.

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर/मुहर सहित
नाम ....
पद ....
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
....

"प्रपत्र–ख"

प्रवेश कर छूट पात्रता प्रमाण पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (नाम व पता) .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2005 के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी .... वृत द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... का धारक व्यापारी ऑटोमोटिव उद्योगों की श्रेणी में अपनी नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तारित/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेषन/फारवर्ड इंटीग्रेषन क्षमता के संदर्भ में प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने का हकदार है.

2– व्यवसायी ने ऑटोमोटिव उद्योगों की श्रेणी में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है अथवा षवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेषन/फारवर्ड इंटीग्रेशन किया है और वह माल के विनिर्माण में नीचे दर्शाये अनुसार माल के उपभोग अथवा उपयोग के संदर्भ में उक्त सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रखता है और उक्त माल उसके छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है—

1– ....
2– ....
3– ....
4– ....

3– व्यवसायी ने नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार क्षमता/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फरवर्ड इंटीग्रेशन में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक .... को प्रारंभ किया है.

4– औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता—

(क) नवीन औद्योगिक इकाई — ....
1– उत्पाद
2– वार्षिक उत्पादन क्षमता

(ख) विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार—
1. उत्पाद ....
2. विस्तार के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता ....
3. विस्तार के पश्चात् वार्षिक उत्पादन क्षमता ....
4. विस्तारित उत्पादन क्षमता ....

(ग) शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन—
1. उत्पाद ....
2. वार्षिक उत्पादन क्षमता ....

5– यह प्रमाण पत्र दिनांक .... से दिनांक .... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की अवधि के लिये प्रभावशील है.

स्थान ....
दिनांक ....

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.